रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1980 (कार्तिक 10, 1902)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1980 (KARTIKA 10, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	613
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1387
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1195
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसचित विधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	11681
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	539
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	69
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	4097
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	183

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	613
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1387
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1195
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	11681
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	539
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	69
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4097
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	183

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 अक्तूबर 1980

सं० 4/1/80-आर० सी० सी०—रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को तथा देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त और सामान्य वित्त से संबंधित अन्य गौण मामलों की पुनरीक्षा करने वाली संसदीय समिति के सदस्यों के रूप में लोकसभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया गया है :—

लोक सभा के सदस्य

1. श्री डी० एल० बैठा
2. श्री ज्योतिर्मय बसु
3. श्री के० बी० चौधरी
4. श्री के० मायातेवर
5. श्री अरुण कुमार नेहरू
6. डा० वसंत कुमार पंडित
7. श्री चिंतामणि पाणिग्रही
8. प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर
9. श्री तैयब हुसैन
10. पंडित कमलापति त्रिपाठी
11. श्री आर० वेंकटरामन
12. श्री रघुनाथ सिंह वर्मा

राज्य सभा के सदस्य

13. श्री सदाशिव बगाइतकर
14. श्री वी० गोपालस्वामी
15. श्री रामलखन प्रसाद गुप्त
16. श्री एफ० एम० खान
17. श्री महेन्द्र मोहन मिश्र
18. श्री सन्तोष कुमार साहू

2. अध्यक्ष महोदय ने श्री डी० एल० बैठा को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

हरि गोपाल परांजपे संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 1980

सं० एफ० 3-42/79-एफ०-2—इस मंत्रालय के 9 अप्रैल, 1980 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, भारत सरकार ने इस मंत्रालय के 15-12-1979 के संकल्प संख्या 3-42/79-एफ०-2 के अनुसार अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में वन तथा राजस्व भूमि के अतिक्रमण से संबंधित स्थापित हुई समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 15 नवम्बर, 1980 तक बढ़ा दी है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति गृह मंत्रालय ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, योजना आयोग, महावनपाल अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० 3-46/79-एफ०-2—अंदमान निकोबार द्वीप समूह में चेथम आरा मिल की मशीनों की अध्ययन करने तथा मिल के आधुनिकीकरण हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिये इस मंत्रालय के दिनांक 3-4-1980 के समसंख्यक संकल्प संख्या द्वारा एक समिति का गठन किया गया था तथा उसे तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

भारत सरकार ने समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 3 माह और बढ़ाकर 30 दिसम्बर, 1980 तक करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति गृह मंत्रालय, ग्रामीण पुर्ननिर्माण मंत्रालय, अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन, योजना आयोग, महावनपाल, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर मंत्रीमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे० पी० भटनागर, अवर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 1980

सं० पी० टी० एच०-4/77—राष्ट्रीय अन्वरगाह बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के 6 मई, 1978 के संकल्प संख्या पी० टी० एच०-4/77 में आंशिक संशोधन स्वरूप यह आदेश दिया जाता है कि उक्त बोर्ड में इसकी बची हुई अवधि में गोआ, दमन, और दीव सरकार के उद्योग और श्रम विभाग के सचिव के स्थान पर गोआ, दमन और दीव सरकार के अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग के मंत्री, गोआ, दमन और दीव सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय,

योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प की सर्व साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्तूबर 1980

संकल्प

सं० ई० आर० बी०-I/80/21/13—16-4-1977 के संकल्प सं० ई० आर० बी०-1/73/21/40 का अतिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने स्थाई स्वेच्छा सहायता समिति के तुरन्त प्रभाव से पुनर्जीवन और पुनर्गठन का विनिश्चय किया है।

2. श्री मल्लिकार्जुन, उप रेल मंत्री, पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। श्री ए० एन० सक्सेना, संयुक्त निदेशक यातायात वाणिज्य (सामान्य), रेलवे बोर्ड, इसके सदस्य सचिव होंगे :—

समिति के सदस्य ये होंगे

1. श्री सुखदेव प्रसाद, भूतपूर्व मंत्री।
2. श्री तुलसीदास यादव।
3. स्वामी हरी नारायणानन्द।
4. श्री हरसुख पंडित।
5. श्री मोहन सिंह।
6. श्री मोहम्मद इलियास खान, वाराणसी।
7. श्री यमुना प्रसाद मंडल, नई दिल्ली।
8. डा० शिव मोहन अग्रवाल, बड़ागांव, वाराणसी।

3. समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(I) बिना टिकट यात्रा और खतरे की जंजीर को अनधिकृत रूप से खींचने के मामलों की जांच करना।

(II) रेलवे स्टेशनों पर सफाई की जांच करना।

(III) रेलवे स्टेशनों और चलती हुई गाड़ियों में पेय-जल जैसी अन्य यात्री सुविधाओं की जांच करना।

(IV) विभागीय आधार पर और ठेकेदारों द्वारा चालित, दोनों प्रकार की खान-पान और बेडिंग व्यवस्थाओं की जांच करना।

(V) ऐसी चोरी और उठाईगीरी को रोकना जिससे रेलवे राजस्व की हानि हो।

(VI) रेलों के बारे में आम लोगों की शिकायतें सुनना।

4. इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

संकल्प

सं० ई० आर० बी०-I/80/21/72—कार्य कुशलता तथा सेवा में सुधार लाने के लिये, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर उपयोक्तर्ता अक्सर रेलों के सम्पर्क में आते हैं, रेल मंत्री ने रेलों के निर्बाध कार्य संचालन के लिये 11 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने तत्काल एक 'कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति' गठित करने का विनिश्चय किया है।

2. श्री सी० के० जाफरशरीफ, रेलवे राज्य मंत्री, समिति के अध्यक्ष होंगे। श्री आर० एस० सोइन, संयुक्त निदेशक, समवेत योजना, रेलवे बोर्ड समिति के सदस्य-सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री एस० आर० वेंकटेशम, भूतपूर्व महापौर, सिकन्दराबाद।
2. श्री एम० कृष्णास्वामी, मद्रास।
3. श्री पी० जे० थामस, केरल।
4. श्री गोपलन दासपाल भाग, भूतपूर्व श्रम मंत्री, पश्चिमी बंगाल।
5. श्री जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व संसद सदस्य, सुदई, रतौली, मधुबनी।
6. श्री विजय शंकर पांडेय, वाराणसी।
7. श्री अनन्त देव मिश्र, गया।
8. श्री के० बी० पाणिकर, नई दिल्ली।
9. श्री एस० बी० कराले, बेलगांव।
10. श्री केवार नाथ सिंह।
11. श्री गंगा राय।

3. 11 सूत्री कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(I) रेल उपयोगकर्ताओं के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार;

(II) गाड़ियों को समय पर चलाना;

(III) बिना टिकट यात्रा और खतरे की जंजीर को अनधिकृत रूप से खींचने के मामलों की जांच करना;

(IV) रेल सम्पत्ति और माल की चोरी तथा उठाईगीरी को रोकना;

(V) यात्रियों को पानी, सफाई, रोशनी और खान-पान जैसी उपयुक्त सुविधायें मुहैया करना;

(VI) रेलवे कारखानों में कार्य कुशलता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना;

(VII) ईंधन की खपत में किफायत करके तथा रेलवे राजस्व की चोरी रोककर रेलवे राजस्व बढ़ाना;

(VIII) कोयला और इस्पात जैसे माल की शीघ्र ढुलाई करने की व्यवस्था करना;

(IX) पिछली सरकार के शासनकाल में रद्द की गई गाड़ियों को पुनः चलाना;

(X) रेल कर्मचारियों को उपयुक्त सुविधायें प्रदान करना; और

(XI) रेल मंत्रालय को स्थायी स्वेच्छा समिति की सहायता से जनता की शिकायतों से अवगत कराना।

4. समिति की कार्य अवधि तीन वर्ष होगी।

के० बालचन्द्रन, सचिव रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-I, the 10th October 1980

No. 4/1/80-RCC.—The following Members of Lok Sabha and Rajyo Sabha have been nominated to serve as Members of the Parliamentary Committee to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance :—

Members of Lok Sabha

1. Shri D. L. Baitha
2. Shri Jyotirmoy Bosu
3. Shri K. B. Choudhari
4. Shri K. Mayathevar
5. Shri Arun Kumar Nehru
6. Dr. Vasant Kumar Pandit
7. Shri Chintamani Panigrahi
8. Prof. Narain Chand Parashar
9. Shri Tayyab Hussain
10. Pandit Kamlapati Tripathi
11. Shri R. Venkataraman

12. Shri Raghunath Singh Varma

Members of Rajya Sabha

13. Shri Sadashiv Bagaitkar

14. Shri V. Gopalaswamy

15. Shri Ram Lakhan Prasad Gupta

16. Shri F. M. Khan

17. Shri Mahendra Mohan Mishra

18. Shri Santosh Kumar Sahu

2. The Speaker has been pleased to appoint Shri D. L. Baitha as the Chairman of the Committee.

H. G. PARANJPE, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 7th October 1980

RESOLUTION

No. F. 3-42/79-F.II.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 9th April, 1980 the Government of India have extended the date of submission of the Report to 15th November, 1980 by the Committee of the Encroachment on Forest as well as Revenue Lands in the Union Territory of Andaman and Nicobar Island set up *vide* this Ministry's Resolution No. 3-42/79-F. II dated the 15th December, 1979.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Ministry of Home Affairs, Ministry of Rural Reconstruction, Andaman and Nicobar Administration, Planning Commission, Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 3-46/79-F.II.—A Committee was set up *vide* Resolution of even No. dated 3-4-1980 to study the machineries at Chatham Saw Mill in the Andaman and Nicobar Islands and recommend suitable measures for the modernisation of the Mill and submit its Report within three months.

The Government of India have decided to extend the date of submission of the Report by the Committee by another three months upto 30th December 1980.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Ministry of Home Affairs, Ministry of Rural Reconstruction, Andaman and Nicobar Administration, Planning Commission, Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. P. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(PORTS WING)

New Delhi, the 7th October 1980

RESOLUTION

No. PTH-4/77.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. PTH-4/77, dated the 6th May, 1978, regarding reconstitution of National Harbour Board, it is ordered that Minister for Inland Waterways, Government of Goa, Daman and Diu will now represent Government of Goa, Daman and Diu instead of Secretary, Industries and Labour, Government of Goa, Daman and Diu, for the remaining term of the Board.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. K. JAIN, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 4th October 1980

RESOLUTION

No. ERBI/80/21/13.—In supersession of Resolution No. ERBI/73/21/40 dated 16-4-77, the Government of India have decided to revive and reconstitute the Standing Voluntary Help Committee, with immediate effect.

2. Shri Mallikarjun, Deputy Minister for Railways will be the Chairman of the reconstituted Committee. Shri A. N. Saxena, Joint Director, Traffic Commercial (G)I, Railway Board, will be its Member-Secretary. The Members of the Committee will be :—

1. Shri Sukhdev Prasad, ex-Minister.
2. Shri Tulsidas Yadav.
3. Swami Hari Narayananand.
4. Shri Harsukh Pandit.
5. Shri Mohan Singh.
6. Shri Mohammad Elias Khan, Varanasi.
7. Shri Yamuna Prasad Mandal, New Delhi.
8. Dr. Sheo Mohan Agarwal, Baragaon, Varanasi.

3. The functions of the Committee will be :—

(i) Checking of ticketless travel and unauthorised alarm chain pulling.

(ii) To check cleanliness at the Railway Stations.

(iii) To check other passenger amenities like drinking water at railway stations and in running trains.

(iv) To check up catering and vending arrangements—both departmental and private contractors.

(v) To prevent theft and pilferage involving loss of railway revenues.

(vi) To listen to the grievances of the general public regarding Railways.

4. The tenure of the Committee will be three years.

RESOLUTION

No. ERBI/80/21/72.—For improving the efficiency as well as the quality of service particularly in areas where users come in frequent touch with the Railways, the Minister of Railways has announced a 11 Point Programme for smooth functioning of the Railways. To implement this programme, the Government of India have decided to constitute a 'Programme Implementation Committee', with immediate effect.

2. The Committee will be headed by Shri C. K. Jaffar Sharief, Minister of State for Railways. Shri R. S. Soin, Joint Director, Corporate Planning, Railway Board, will be its Member-Secretary. The other Members of the Committee will be :—

1. Shri S. R. Venkatesham, ex-Mayor, Secunderabad.
2. Shri M. Krishnaswamy, Madras.
3. Shri P. J. Thomas, Kerala.

4. Shri Gopaldas Nag, ex-Labour Minister, West Bengal.
5. Shri Jagannath Mishra, ex-MP, Sudai, Ratauli, Madhubani.
6. Shri Vijay Shankar Pandey, Varanasi.
7. Shri Anant Deb Mishra, Gaya.
8. Shri K. V. Panicker, New Delhi.
9. Shri L. B. Karale, Belgaum.
10. Shri Kedarnath Singh.
11. Shri Ganga Rai.

3. The 11 Point Programme is as follows :—

(i) Courtesy oriented approach to the Railway users;

(ii) To restore punctual running of trains;

(iii) To check ticketless travelling and unauthorised chain pulling;

(iv) To prevent theft and pilferage of railway property and goods;

(v) To provide proper amenities to travelling people, like water, sanitation, lighting and catering;

(vi) To speed up production of railway workshops by increasing efficiency;

(vii) To augment railway revenue by exercising economy in fuel consumption and checking of leakage of railway revenue;

(viii) To arrange quick transportation of goods like coal, steel, etc.

(ix) To restore the running of trains cancelled in previous regime;

(x) To see that proper amenities are afforded to railway workers; and

(xi) To acquaint Railway Ministry about public grievances with the help of Standing Voluntary Committee.

4. The tenure of the Committee will be three years.

K. BALACHANDRAN,
Secretary, Railway Board.
& *ex-officio* Joint Secretary
to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980